



2026:AHC:63800

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 11069/2026

सत्यपालआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक हेतु अधिवक्ता: विनय कुमार त्रिपाठी

विपक्षी हेतु अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार त्रिपाठी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत यह आवेदन संबंधित विद्वान न्यायालयों को यह निर्देश देने हेतु दायर किया गया है कि वे उन सभी 6 मामलों में, जिनमें आवेदक को जमानत पर रिहा किया गया है, आवेदक की ओर से प्रस्तुत एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभुओं को स्वीकार करें।
3. रिकॉर्ड दर्शाता है कि आवेदक को विभिन्न अपराध संख्या वाले मामलों में जमानत पर रिहा किया गया है। उनका विवरण निम्नानुसार है:-

(i) मुकदमा अपराध संख्या 608/2012, भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397, 506, 411 के तहत, थाना- कासना, जिला- गौतम बुद्ध नगर।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) मुकदमा अपराध संख्या 645/2012, भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए, 358, 120-बी के तहत, थाना- कासना, जिला- गौतम बुद्ध नगर।

(iii) अपराध संख्या 29/2023, गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के तहत, थाना- कासना, जिला- गौतम बुद्ध नगर।

(iv) मुकदमा अपराध संख्या 159/2012, भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के तहत, थाना- हाईवे, जिला- मथुरा।

(v) मुकदमा अपराध संख्या 96/2012, भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307 के तहत, थाना- मगहोरा, जिला- मथुरा।

(vi) मुकदमा अपराध संख्या 439/2012, भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307 और 7 सी.एल.ए. एक्ट के तहत, थाना- हाईवे, जिला- मथुरा।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक 12 प्रतिभुओं की व्यवस्था करने में असमर्थ है। परिणामस्वरूप, इस तथ्य के बावजूद कि आवेदक को उसके विरुद्ध लंबित सभी छह आपराधिक मामलों में जमानत पर रिहा कर दिया गया है, आवेदक अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाया है क्योंकि वह सभी मामलों में अलग-अलग जमानत बांड भरने में विफल रहा है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह आग्रह किया गया है कि आवेदक को सभी मामलों में एक समान व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के समान जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए। इसलिए, उनका तर्क है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उपरोक्त के आलोक में उचित निर्देश जारी किया जाए।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के 'हानी निषाद @ मोहम्मद इमरान @ विक्की बनाम उत्तर प्रदेश राज्य', 2018 SCC OnLine SC 3946 के निर्णयों का भी संदर्भ दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 4965/2018 (रामवती अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) दिनांक 09.04.2019 को निर्णीत, 'रिजवान उर्फ अट्टा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य', 2019 SCC OnLine All 7631, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन संख्या 40957/2019 (मोबिन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) दिनांक 21.11.2019 को निर्णीत और धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन संख्या 5444/2021 (राजेश खंतवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) दिनांक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



06.08.2021 को निर्णीत आदेशों पर भी भरोसा किया है, जिनमें न्यायालय ने जमानत की शर्तों को यह प्रदान करते हुए संशोधित किया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभुओं को आवेदक के विरुद्ध लंबित सभी मामलों में स्वीकार किया जाए।

6. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार पर, यह आग्रह किया गया है कि वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया जाए और एक अपराध संख्या में आवेदक द्वारा प्रस्तुत एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभुओं को सभी मामलों में व्यक्तिगत बंधपत्र और प्रतिभू के रूप में स्वीकार किया जाए।
7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने इस आवेदन का विरोध किया है। हालाँकि, वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आदेशों पर विवाद नहीं कर सके।
8. यह मुद्दा कि क्या एक मामले में प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र और प्रतिभुओं के एक सेट को अन्य जमानत आदेशों के लिए वैध माना जा सकता है ताकि आरोपी की रिहाई संभव हो सके, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य' [2024 आईएनएससी 617, दिनांक 22.08.2024 को निर्णीत] में पहले ही तय किया जा चुका है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर देते हुए कि अत्यधिक जमानत शर्तें लगाना जमानत देने के उद्देश्य को ही विफल कर देता है और अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, यह माना कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में लंबित एफ.आई.आर. के लिए, याचिकाकर्ता को केवल एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, और प्रतिभुओं के ऐसे एकल सेट को संबंधित राज्य के भीतर सभी एफ.आई.आर. के लिए वैध माना जाएगा।
9. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ माननीय शीर्ष न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में, वर्तमान आवेदन सफल होता है और स्वीकार किए जाने योग्य है।
10. तदनुसार इसे स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. तदनुसार यह प्रदान किया जाता है कि आवेदक को संबंधित विद्वान न्यायालयों के संतोषानुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू निष्पादित करने की अनुमति दी जाएगी, जो वर्तमान आवेदक के विरुद्ध लंबित सभी 6 मामलों में मान्य होंगे।

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026

विवेक कुमार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।